

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्त विभाग के आदेश संख्या प.2(1)वित्त/साविलेनि/2001 दिनांक 28.03.12 एवं परिपत्र संख्या 7/2012 के अनुसार दिनांक 31.03.2012 को राजकीय अवकाश के दिन समस्त कोष एवं उप-कोष कार्यालय मार्च के अंतिम कार्य दिवस के रूप में राजकीय लेन-देन हेतु खुले रहेंगे। विभाग की लेखा शाखा के समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

अतः समस्त संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण, जिनके प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बकाया रहे बिल अथवा कोष कार्यालय द्वारा ओबजेक्शन लगे बिलों के भुगतान हेतु, दिनांक 31.03.2012 को प्रातः 9.30 बजे कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्य समाप्ति तक उपस्थित रहेंगे एवं बकाया रहे बिलों अथवा ओबजेक्शन लगे बिलों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही कर समय पर लेखा शाखा को सुपुर्द करावेंगे ताकि लेखा शाखा द्वारा संबंधित बकाया भुगतान बिलों/ओबजेक्शन बिलों को जाँचने के पश्चात् समय पर कोष कार्यालय प्रेषित किया जा सके।

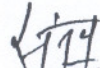

ए.सी.पी. (उप निदेशक)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

मुख्य लेखाधिकारी,
समस्त संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण,
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर

अशा.टीप कमांक: प.2(795)सूप्रौ/संस्था/10/ 1814
जयपुर, दिनांक : 30.03.12

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य लेखाधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर


ए.सी.पी. (उप निदेशक)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.2(1)वित्त/साविलेनि/2001

जयपुर, दिनांक : 28/3/2012
परिपत्र संख्या : 7/2012

आदेश

विषय : कोष एवं उप-कोष कार्यालय खोले जाने बाबत।

राजस्थान कोष नियमावली, 1999 के नियम 64 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2012 को राजकीय अवकाश के दिन समस्त कोष एवं उप-कोष कार्यालय को मार्च के अन्तिम कार्य दिवस के रूप में राजकीय लेन-देन हेतु व्यवहार कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

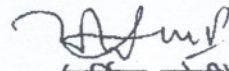
दिनांक 31.3.2012 को राज्य के समस्त कोष एवं उप-कोष राज कार्य हेतु खुले रहेंगे।



(अखिल अरोरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक निर्देश जारी कराने हेतु।
3. संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
5. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी राजस्थान।
6. महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, मुख्यालय जयपुर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क एवं सूचना (DIPR) को प्रकाशनार्थ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।



(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव